

राजेश कुमार बनाम वीनालाल को

तारीख हुक्म

12.04.23


हल

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहरताक्षर जज

36.4-458/17

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान

अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट रामाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई। वकूलाय उभय पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकूलाय उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति में दावा बाबत ईस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों।

  
12/04/23

दिलीप सिंह

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
श्रीगाधोपुर (सीकर)

